न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्याः—195 / 2025

प्रार्थीगण::—

महेन्द्रसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपूत निवासी महेशनगर तहसील समदड़ी जिला बालोतरा

—::बनाम::—

विप्रार्थीगण::—

1. दौलतराम रोपिया पुत्र दाऊलाल जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी सरदारपुरा पहाल बी.रोड खडीयाबास तहसील जोधपुर जिला जोधपुर
2. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा राखी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—1. श्री कैलाशपुरी वकील प्रार्थी

2. श्री गणपतसिंह विप्रार्थी संख्या 1

::आदेश::

दिनांकः— 30.01.2026

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.सं. 4 रकबा 7.9399 हैक्टेयर भूमि ग्राम महेशनगर तहसील समदड़ी में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त खसरे की पूर्व से लगती विप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि ख.स. 395/3 रकबा 5.9974 आई हुई है। प्रार्थी को अपने खेत से आवागमन हेतु, आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग लाल से दर्शाया गया विप्रार्थी सं. 1 उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थी बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाते ले जाते है। विप्रार्थी संख्या 1 रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थी के आवागमन में व्यवधान पैदा करते हैं, अतः प्रार्थी ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति दी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.14 18:18:23 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री गणपतसिंह उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया।

वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ में अपनी खातेदारी भूमि व उससे लगती विप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार समदड़ी से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित पदों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के खातेदारी खेत में आवागमन हेतु प्रार्थी के खातेदारी खेत के बदिशा पश्चिम में स्थित विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी भूमि में प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में बरंग लाल ही एक मात्र इकलौता, निकटतम एवं सुगम मार्ग है, जिससे प्रार्थी का परिवार आवागमन करता आ रहा है, उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यंतिक आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संलग्न नक्शे में दर्शित बरंग लाल ए से बी को गै.मु.रास्ता घोषित किया जावे, प्रार्थी उक्त रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थी संख्या 1 को देने हेतु सहमत है।

विप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि तहसीलदार समदडी के रिपोर्ट में विप्रार्थी के खातेदारी भूमि के उत्तर दिशा की ओर खसरा संख्या 394/3 खातेदार गणपतसिंह पुत्र हरिसिह की खातेदारी अवस्थित है, जो कि प्रार्थी के समाज बन्धु व निकटतम रिश्तेदार है प्रार्थी ने जान बूझकर खसरा संख्या 394/3 के खातेदार को पक्षकार नही बनाया है खसरा संख्या 394/3 मे से प्रार्थी के खेत में आवागमन सबसे निकटतम व सुलभ है। खसरा संख्या 394/3 की दक्षिणी माठ पर कोई निर्माण नहीं है तथा प्रार्थी का आवागमन भी खसरा संख्या 394/3 में से निरन्तर रूप से चालू है प्रार्थी ने दुंभावना पूर्ण विप्रार्थी संख्या 1 को पक्षकार बनाकर रास्ता चाहा है लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावे।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। रा.का.अ. अधिनियम की धारा 251 क के धारा (ख)के बिन्दू (ii) के अनुसार अन्य खातेदार की जोत से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया हो तो उक्त धारा के अन्तर्गत प्रार्थी को रास्ता प्रदान किया जा सकता है। तहसीलदार समदडी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी के खसरा संख्या 4 में आवगमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा संख्या 395/3 मे से चाहा गया रास्ता ही सुविधाजनक ,निकटतम एवं एक मात्र वैकल्पिक रास्ता बताया है। जहां तक विप्रार्थी संख्या 1 का यह कथन कि प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी के खातेदारी भूमि के उत्तर दिशा की ओर खसरा संख्या 394/3 खातेदार गणपतसिंह पुत्र हरिसिंह की खातेदारी भूमि से रास्ते दिये जाने का है इस सम्बन्ध में तहसीलदार समदडी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की भूमि की उत्तर दिशा में कम दूरी का है तथा उक्त रास्त मौके पर चालू है प्रार्थी के खातेदारी में पहुंचने का आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं लिहाजा विप्रार्थी का यह निवेदन की प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते केवल विप्रार्थी को परेशान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.14 18:18:23 IST
Reason: SelfAttested

करने की नियत से पेश किया गया है अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है, तहसीलदार समदडी मौका रिपोर्ट रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता संलग्न नजरी नक्शा मे दर्शित बरंग लाल ए से बी की लम्बाई 199 गट्ठा व चौडाई 2 गट्ठा रकबा 0.19.18 बीघा होगी तथा उक्त प्रस्तावित भूमि के क्षतिपूर्ति के रूप में प्रार्थी विप्रार्थी संख्या 1 को डी.एल.सी. की दुगनी राशि देने हेतु सहमत है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित पिोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम महेशनगर तहसील समदडी की ख.सं. 4 रकबा 07.9399 हैक्टेयर में आवागमन हेतु विप्रार्थी सं. 1 खातेदारी भूमि खं.सं. 395/3 में से 199 गट्ठा लम्बाई तथा 2 गट्टा चौडाई अर्थात 0.19.18 बीघा भूमि तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग लाल से ए से बी दर्शित भूमि, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के रूप में वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि विप्रार्थी संख्या 1 को दी जावे ,विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त राशि लेने से इन्कार की स्थिति में उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार समदडी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

तहसीलदार समदडी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक– राजस्व/2025/914 दिनांक 20.11.2025 प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 30.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.14 18:18:23 IST
Reason: SelfAttested

नजरी नक्शा मौजा - महेशनगर
तहसील - समदड़ी
जिला - बालोतरा

① प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता CD

② मौके पर चल रहे ग्रेवल रास्ता से निकटतम दूरी का रास्ता AB

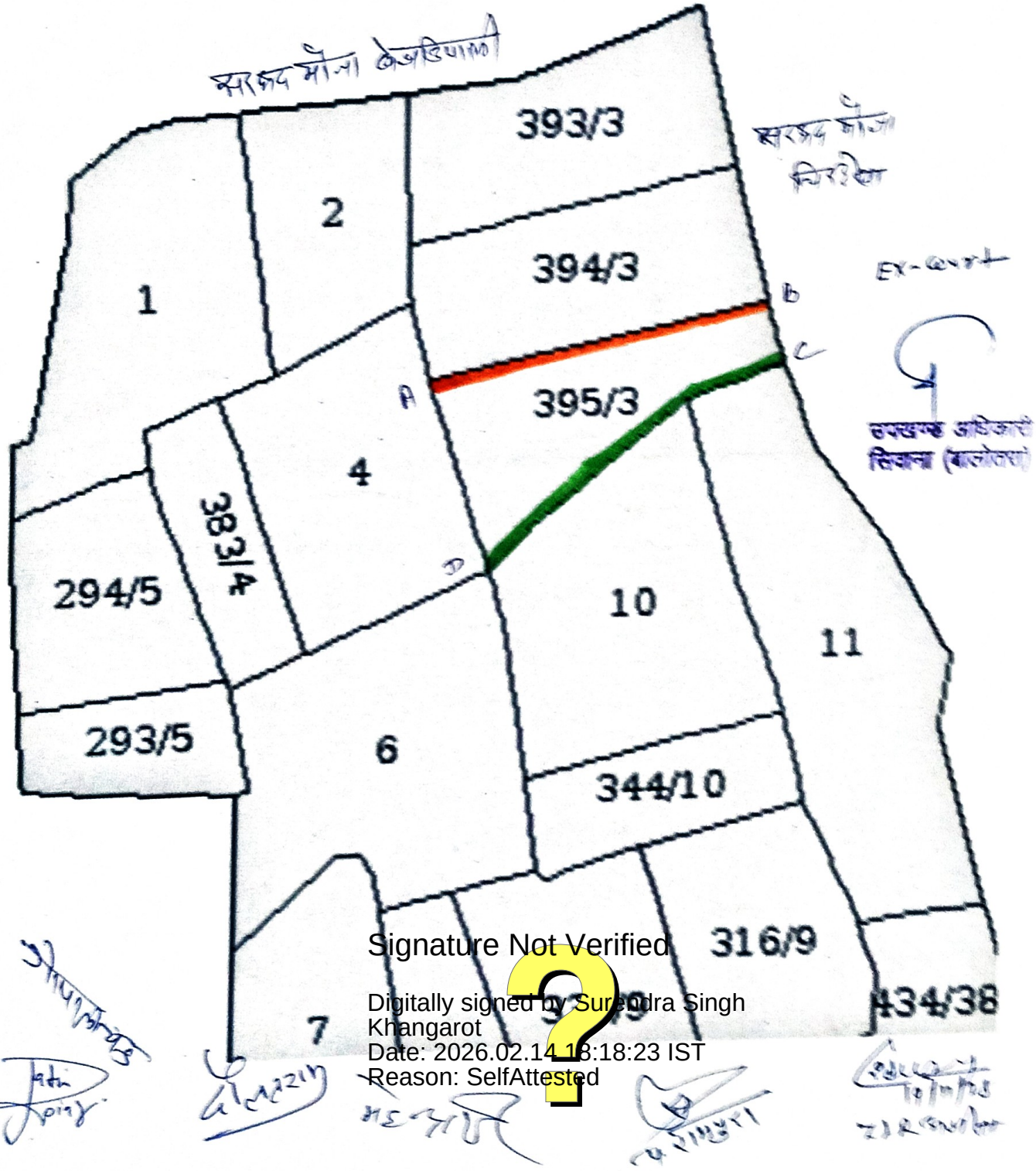

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.14 18:18:23 IST
Reason: SelfAttested